न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अजमेर

पीठासीन अधिकारी – डॉ0 आर्तिका शुक्ला (आई.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी
अजमेर

राजस्व प्रार्थना पत्र – 65/2019

1. श्री भगवान सिह पुत्र स्व0 श्री हजारी सिह जाति रावत,उम्र 48 वर्ष
2. श्री भागचन्द पुत्र स्व0 श्री हजारी उम्र 38 वर्ष

छोनों जाति रावत, निवासीगण ग्राम काजीपुरा तहसील व जिला अजमेर

प्रार्थी

बनाम

1. श्रीमती संतरा देवी पत्नी श्री रमेशचन्द खण्डेलवाल
2. रमेश चन्द खण्डेलवाल पुत्र श्री नामालूम
3. संजय खण्डेलवाल पुत्र श्री रमेशचन्द्र खण्डेलवाल

तीनो जाति माहेश्वरी निवासीगण शिव नगर फॉयसगर रोड अजमेर

4. नन्दा पुत्र श्री घीसा जाति चीता निवासी खरेखडी तहसील व जिला अजमेर

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

आदेश **दिनांक 16.12.2019**

पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष के अधिवक्तागण उपस्थित जिन्हें प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पर सुना पत्रावली का अवलोकन किया।

उप खण्ड अधिकारी
अजमेर

Scanned by CamScanner

प्रार्थीगण के वकील ने बहस में प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराते हुये स्वीकार किया कि कुषि आराजी जिसका खाता संख्या 892 नया व 765 पुराना खसरा नम्बर 2847 कुल रकबा 0.70 है, जिसकी किस्म चाही है जो ग्राम बोराज तहसील व जिला अजमेर में अवस्थित है। उक्त आराजी प्रार्थीगण के पिता स्व0 श्री हजारी के नाम से चली आ रही थी तथा हजारीं की मृत्यु के पश्चात उक्त खसरा प्रार्थीगण तथा उनकी बहनों व उनके स्व0 भाई हीरा की पत्नी जनता व उसके पुत्र गोविन्द के नाम दर्ज हो गयी। उक्त आराजी में पॉच हिस्से है प्रार्थीगण तथा एक हिस्से का मालिक खातेदार प्रार्थीगण का सहिस्सेदार गोविन्द हो गये। कुछ समय पूर्व उक्त खसरा के अन्य हिस्सेदार गोविन्द व जनता का अप्रार्थीगण से जमीन को लेकर विवाद हो गया तथा जनता देवी की हत्या हो गयी है तथा गोविन्द द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 को उक्त वर्णित खसरा में अपने 1/6 हिस्से की रजिस्ट्री निरस्ती का दावा अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्व प्रस्तुत कर रखा है जो अभी माननीय न्यायालय श्रीमान् अपर जिला न्यायाधीश संख्या 2 अजमेर में विचाराधीन है। दिनांक 27.11.2019 को अप्रार्थीगण प्रार्थीगण की सम्पत्ति पर आये और जे.सी.बी से प्रार्थीगण की गेहू की खडी फसल को नष्ट कर दिया और 50,000 रूपये का नुकासान कर दिया । प्रार्थीगण व अन्य मौजूद व्यक्तियों द्वारा अप्रार्थीगण को समझाने का प्रयास किया गया तो भी वे नही माने और गाली गलौच कर लडाई करने लगे । जिस बाबत प्रार्थीगण द्वारा प्रथम सूचना भी पुलिस थाना गंज अजमेर में दर्ज करवायी गयी है। अप्रार्थीगण का विवाद गोविन्द से उनके 1/6 हिस्से यानि 14 बिस्वा पर है परन्तु अप्रार्थीगण द्वारा उक्त 14 बिस्वा की आड में प्रार्थीगण के सम्पूर्ण हिस्से पर जबरन कब्जा कर हडपना चाहते है। जिसका अप्रार्थीगण को कोई हक व अधिकार नही है। अप्रार्थीगण को अन्य किसी दीगर तरीके से रोका जाना संम्भव नही है। इसलिए यह इस प्रार्थना पत्र के साथ मूल वाद माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत है जिससे अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेघाज्ञा पाबन्द किया जाये कि वह प्रार्थीगण के कब्जे काश्त पर किसी प्रकार की दखलंदाजी ना करे और प्रार्थीगण को उनके हक व अधिकार की कृषि भूमि से बेदखल नही करे ना ही कब्जा करे। प्रथम दृष्टया प्रकरण व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है। यदि अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेघाज्ञा आदेश पाबन्द नही किया गया तो प्रार्थीगण को ऐसी अपूणीय क्षति होगी जिसका कि मुदा से मूल्यांकन आंका जाना सम्भव नही होगी। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थीगण, उनके

Scanned by CamScanner

नौकरान, एजेन्टस, असाईनीज, मित्रगण रिश्तेदारान इत्यादि को अस्थायी निषेधाज्ञा का आज्ञाप्ति से निरोधित फरमाया जावे कि वह प्रार्थना पत्र की वर्णित भूमियों में किसी प्रकार का व्यवधान दखल, अतिचार व अतिक्रमण नही करे तथा कब्जे काश्त में दखल ना करे तथा प्रार्थीगण को 50,000 रूपये नुकसानी बतौर क्षतिपूर्ति दिलवाये व अन्य अनुतोष जो माननीय न्यायालय प्रकरण की परिस्थितियों के अनुरूप उचित समझे दिलवाया जावे ।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये । अप्रार्थी 1 से 3 की ओर से श्री डूगर सिह राठौड अधिवक्ता उपस्थित आये। अप्रार्थी संख्या 4 नोटिस तामिल बावजूद गेर हाजिर होने से एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

अप्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए उनके अधिवक्ता ने दौराने बहस में निवेदन किया गया कि अप्रार्थी संतरा द्वारा प्रस्तुत जवाब अप्रार्थी 2 व 3 का भी माना जावे। तथा दौराने बहस में निवेदन किया गया कि ग्राम बोराज स्थित खसरा नम्बर 2847 रकबा 0.70 हैक्टर भूमि हजारी वल्द लाला कौम रावत के नाम दर्ज थी एवं हजारी के स्वर्गवास के बाद नामातकरण 225 दिनांक 11.4.2000 के अनुसार हजारी व राधा तीजा, पांची पुत्रीया हजारी व जनता देवी पत्नि हीरासिह, गोविन्द पुत्र हीरा सिह के नाम दर्ज हुई इसके बाद हजारी की पुत्रीयों ने प्रार्थीगण के हक में हक त्याग कर दिया जिसका नामांतकरण संख्या 253 दिनांक 6.1.2017 को स्वीकृत हुआ । इसके बाद प्रार्थीगण व हजारी के स्व0 पुत्र हीरा सिह के वारिसों के मध्य भूमि का बटवारा होकर स्व0 हीरासिह के वारिसान द्वारा भूमि पर तारबन्दी कर अपने हक व हिस्से में आई 1/6 हिस्से की भूमि को दिनांक 6.7.2017 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र जवाबकर्ता को बेचान कर कब्जा संभला दिया जिस पर अप्रार्थीया जवाबकर्ता के नाम नामातकरण संख्या 286 दिनांक 14.7.2017 को स्वीकृत हो गया । प्रार्थीगण व अप्रार्थी जवाबकर्ता के मध्य आपसी सहमति से हिस्से व कब्जे अनुसार दिनांक 21.3.2018 को विभाजन होकर खसरा नम्बर 2847 रकबा 0.26 हैक्टर व 3648/2848 रकबा 0.32 हैक्टर भूमि प्रार्थीगण के हक में रही व खसरा नम्बर 3647/2847 रकबा 0.12 हैक्टर अप्रार्थीया जवाबकर्ता के हक में रही जिसका नामांतकरण 310 दिनांक 22.3.2018 को स्वीकृत होकर प्रार्थीगण व जवाबकर्ता के नाम दर्ज होकर भूमि का विभाजन होकर अलग

उप खण्ड अधिकारी
अजमेर

Scanned by CamScanner

अलग नम्बर दर्ज हो गये तथा सहमति से हुए बटवारे अनुसार प्रार्थीगण व जवाबकर्ता अपनी अपनी खातेदारी भूमि पर काबिज काश्त है । वादग्रस्त भूमि का दावा दायरी से पूर्व विभाजन हो चुका है जिस पर विभाजन अनुसार अलग अलग काबिज काश्त है। जवाबकर्ता का उनके विक्रेता जनता पत्नि स्व0 हीरा सिह व गोविन्द से कभी कोई विवाद नही हुआ जवाबकर्ता के साथ उनके अच्छे सबंध रहे बल्कि प्रार्थीगण ही आये दिन जनता देवी से झगडा व विवाद करते थे तथा इनके निधन के बाद जवाबकर्ता से झगडा फसाद करते है। माननीय न्यायालय अपर जिला न्यायाधीन संख्या 2 अजमेर के समक्ष विचाराधीन वाद से प्रार्थीगण का कोई सम्बन्ध नही है। मूल खसरा नम्बर 2847 रकबा 0.70 हैक्टर का आपसी सहमति से विभाजन होने के बाद खसरा नम्बर 2847 रकबा 0.26 हैक्टर व 3648/2848 रकबा 0.32 हैक्टर कुल किता 2 रकबा 0.58 हैक्टर के प्रार्थीगण खातेदार है तथा खसरा नम्बर 3647/2847 रकबा 0.12 हैक्टर की जवाबकर्ता खातेदार है। जब प्रार्थीगण टीनेन्ट नही है तो उन्हे धारा 188 के तहत वाद प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नही है ओर न ही अस्थाई निषेघाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे । वकील अप्रार्थी ने अपने समर्थन में न्यायिक दृष्टांत आरआरटी 2018 (2) पेज 1275, आरआरटी 2013 (2) पेज 828, आरआरटी 2015 (1) पेज 633 प्रस्तुत किये ।

हमने उभयपक्ष के अभिभाषकगण की बहस को सुनते हुये पत्रावली का अवलोकन किया ओर पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख जमाबंदी के अवलोकन से पाया कि प्रार्थी द्वारा सहमति के आधार पर तहसीलदार अजमेर द्वारा किए गए विभाजन आदेश से असहमत होकर मूल वाद एवं वर्णित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया साथ ही प्रार्थी अधिवक्ता ने निवेदन किया कि तहसीलदार अजमेर के विभाजन आदेश के विरूद्व प्रार्थी द्वारा विदवान जिला कलक्टर महोदय अजमेर के समक्ष अपील प्रस्तुत की जा चुकी है। इस कारण पूर्व में हुए विभाजन के विपरित त्रुटिपूर्ण विभाजन आदेश के आधार पर पर अप्रार्थी मौके पर निर्माण व परिवर्तन किए जाने पर आमदा है इस कारण प्रार्थी के पक्ष में प्रथम दृष्टया प्रकरण सुविधा का सन्तुलन अपूणीय क्षति के बिन्दु निहीत करते है ऐसी स्थिति में अप्रार्थी को ताफैसला मूल वाद जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेघाज्ञा से पाबन्द किया जावे।

उप खण्ड अधिकारी
अजमेर

Scanned by CamScanner

अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि तहसीलदार अजमेर के विभाजन आदेश की पालना में सहमति विभाजन के आधार पर विभाजित होकर पृथक पृथक राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज हो चुकी है । प्रार्थी एवं अप्रार्थी की भूमि की भूमि पृथक–पृथक खातेदारी में दर्ज होने से प्रार्थी के पक्ष में किसी प्रकार का प्रकरण सिद्व नही होता है तथा प्रार्थी रिकार्डेड खातेदार के विरूद्व किसी आधार पर अस्थाई निषेघाज्ञा प्रस्तुत करने का अधिकार नही होने से इस प्रकार सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति भी प्रार्थी के पक्ष में विघमान नही होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे । इस प्रकार विवादित भूमि स्वयं खातेदारान द्वारा सहमति के आधार पर प्रस्तुत विभाजन के प्रस्ताव को स्वीकार कर तहसीलदार अजमेर द्वारा विभाजन प्रस्ताव पारित किया जिसकी पालना राजस्व रेकार्ड मौके पर हो चुकी है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में प्रमाणित नही होता है। साथ ही अप्रार्थी के विभाजन आदेश के तहत बहेसियत खातेदार अपनी खातेदारी भूमि पर काबिज है जिसके विरूद्व अस्थाई निषेघाज्ञा जारी की जाती है तो तुलनात्मक असुविधा एवं अपूर्णीय क्षति भी प्रार्थी की अपेक्षा अप्रार्थी को कारित होगी ।

अतः उपरोक्त विवेचन विषलेषण अनुसार प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 16.12.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

आर्तिका शुक्ला
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
अजमेर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Artika Shukla
Date: 2019.12.19 12:59:19 IST
Reason: SelfAttested
Location: